विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–1652/XII(1)1/15–86(19)/2015 दिनांक 21 सितम्बर 2015 एवं अनुवर्ती शासनादेश दिनॉक 21 अक्टूबर 2015 तथा दिनॉक 03 नवम्बर 2015 द्वारा संसूचित कार्यक्रम के क्रम में जनपद हरिद्वार की 308 ग्राम पंचायत प्रधानों तथा उनके ग्राम पंचायत सदस्यों, व 06 विकास खंण्डो के अन्तर्गत 221 क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा जनपद हरिद्वार की 47 जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों एंव 06 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के पदों एवं स्थानों का आरक्षण करतें हुए अनन्तिम सूची प्रकाशित की जाती है।

पदो एवं स्थानों के अनन्तिम प्रकाशन के उपरान्त हितवद्व व्यक्तियों द्वारा आपत्तियॉ दिनॉक 16.11.2015 तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक संबधित विकास खण्ड, जिला पंचायतराज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिलाधिकारी कार्यालय (ERK अनुभाग) में लिखित रूप से की जा सकती है। निर्धारित तिथि/समय के उपरान्त आपत्तियॉ स्वीकार नही की जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनॉक 17.11.2015 एंव दिनांक 18.11.2015 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष कलक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में की जाएगी। आपत्तियों की सुनवाई निम्न क्रम में की जाएगी:–

दिनांक 17/11/2015 को समस्त विकास खण्डों के ग्राम पंचायत सदस्य/प्रधान/प्रमुख पद की आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी तथा दिनांक 18/11/2015 को समस्त विकास खण्डों के क्षेत्र पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य पद हेतु आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। आपत्तियों की सुनवाई का विकास खण्डवार क्रम निम्नानुसार होगा:–

1. खानपुर 2. लक्सर 3. नारसन 4. भगवानपुर 5.रूड़की 6. बहादराबाद

अतः एतदद्वारा मैं हरबंस सिंह चुघ जिलाधिकारी, हरिद्वार जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रो के आरक्षण की अनन्तिम सूची संलग्नक 01 से 05 के अनुसार जनसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करता हूँ। यह सूची www.haridwar.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1. ग्राम पंचायत सदस्य आरक्षण सूची 2. ग्राम पंचायत प्रधान आरक्षण सूची
3. क्षेत्र पंचायत सदस्य आरक्षण सूची 4. क्षेत्र पंचायत प्रमुख आरक्षण सूची
5. जिला पंचायत सदस्य आरक्षण सूची

संलग्न–यथोपरि।

(हरबंस सिंह चुघ)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांक 845/पं0–7/अनन्तिम आर0/2015–16 दिनांक 14नवम्बर,2015

प्रतिलिपि–

1– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पदो और स्थानो का अनन्तिम आरक्षण सूची विकास खंण्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करे।
2– समस्त तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार को उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने स्तर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
3– जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी हरिद्वार को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– जिला सूचना अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ की विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में जनसाधारण के सूचनार्थ निःशुल्क जनहित में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करे।
5– प्रभारी अधिकारी, कलक्ट्रेट हरिद्वार।
6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि जनपद की वेवसाईट www haridwar.gov.in पर उक्त विज्ञप्ति को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
8– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।